

कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा (छ0ग0)
District Legal Services Authority, ADR Bulding, Janjgir (C.G.)

Phone- (07817) 299100 Toll Free No- 18002332528

E-mail- dlsa.janjgir@gmail.com

// ज्ञापन //

कमांक / / फा.क.-ए-94 / 2026 जांजगीर,
प्रति,

जांजगीर, दिनांक 23.06.2026

श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ0ग0)

विषय :- दिनांक 18.07.2026 को आयोजित स्पेशल लोक अदालत हेतु खण्डपीठ गठित किये जाने के संबंध में।

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 18.07.2026 को स्पेशल लोक अदालत हेतु निम्नानुसार खण्डपीठ का गठन किया गया है :-

जिला न्यायालय जांजगीर

खण्डपीठ क्र०	पीठासीन अधिकारी एवं खण्डपीठ का नाम	सुलहकर्ता अधिवक्ता/सदस्य
12	श्री प्रवीण मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ0ग0)	श्री इन्द्रजीत कुमार राठौर, (मोबाईल नं. 9770106128)

- (1) दिनांक 18.07.2026 को आयोजित स्पेशल लोक अदालत में उपरोक्तानुसार नामांकित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी आवश्यकतानुसार स्वयं न्यायालय के 03-04 स्टॉफ की ड्यूटी लगा सकेंगे।
- (2) दिनांक 18.07.2026 को आयोजित स्पेशल लोक अदालत में उपरोक्तानुसार नामांकित खण्डपीठ के सुलहकर्ता अधिवक्ता/सदस्यगण किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हों तो उनके स्थान पर ड्यूटी लगाये जाने हेतु जिला मुख्यालय स्तर पर प्राधिकरण के सचिव महोदय के आदेशानुसार अन्य अधिवक्तागण से कार्य लिया जावेगा जिनके मानदेय का भुगतान खण्डपीठ में कार्य उपरान्त उपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर ही भुगतान किया जा सकेगा।

- (3) उपरोक्तानुसार गठित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके ही स्थापना (जिला न्यायालय-कार्यालय) से मानदेय भुगतान किया जाना है। केवल अधिवक्ता/खण्डपीठ सदस्यों को उपस्थिति प्रमाण-पत्र के आधार पर नियमानुसार मानदेय राशि का भुगतान इस प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा। अतः संबंधित पीठासीन अधिकारी, कर्मचारियों की लोक अदालत उपस्थिति पत्रक जिला न्यायालय स्थापना को एवं केवल अधिवक्ता/सदस्यों का उपस्थिति पत्रक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- (4) गठित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर होने पर अथवा अन्यत्र स्थानान्तरित होने पर उस खण्डपीठ में राजीनामा के आधार पर रखे गये प्रकरणों की सुनवाई कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर-चांपा एवं माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रभावी कार्य विभाजन आदेशानुसार संबंधित न्यायिक अधिकारी के खण्डपीठ में की जा सकेगी।

(माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से प्रेषित)

sd/-
(मनोज कुमार कुशवाहा)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जांजगीर-चांपा (छ0ग0)

पृष्ठां क्रमांक/891/फा.क्र.-ए-94/ 2026 जांजगीर,
प्रतिलिपि :-

जांजगीर, दिनांक 23.06.2026

01. कार्यालय श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. श्रीमती अंजू कंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी, जांजगीर की ओर इस प्राधिकरण द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक- 875 दिनांक 22.06.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 03. सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग को सूचनार्थ एवं वेबसाइट में अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
04. केन्द्रीय पंजीयन शाखा, प्रधान जिला न्यायालय जांजगीर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. अधिवक्ता संघ जांजगीर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. अधिवक्ता/सुलहकर्ता की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित खण्डपीठ में उपस्थित रहने हेतु प्रेषित।

M. K. 2026
(मनोज कुमार कुशवाहा)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जांजगीर-चांपा (छ0ग0)